[2021] 10 एस.सी.आर. 200

वी. सैंथुर एवं अन्य

बनाम

एम. विजयकुमार, आई.ए.एस., सचिव, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग एवं अन्य

(2016 की दीवानी अपील संख्या 4954)

में

(2017 का अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 638)

01 अक्टूबर, 2021

[माननीय न्यायमूर्ति श्री एल. नागेश्वर राव एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री बी.आर. गवई]

न्यायालय की अवमानना — सेवा विधि — विलय का सिद्धांत — वरिष्ठता सूची — आपसी वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित विवाद — लागू किए जाने वाला विधिक सिद्धांत — निर्देशों के जानबूझकर/सचेतन पालन न किए जाने का आरोप — उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आधिकारिक उत्तरदाताओं को यह निर्देश दिया कि तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टी.एन.पी.एस.सी.) द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की गई रैंक को वरिष्ठता निर्धारण का आधार माना जाए — उक्त आदेशों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिकाएँ — 22.01.2016 को इस न्यायालय द्वारा कारणयुक्त आदेश द्वारा निरस्त — अवमानना याचिकाकर्ताओं का आरोप कि उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया तथा यह कि उच्च न्यायालय का निर्णय उक्त आदेश में विलय हो गया — निर्णीतः यदि विशेष अनुमति याचिकाओं के निरस्तीकरण का आदेश कारणों सहित हो, तब भी विलय का सिद्धांत लागू नहीं होता। तथापि, इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए कारण संविधान के अनुच्छेद 141 को आकर्षित करेंगे और घोषित विधि सभी न्यायालयों/अधिकरणों तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी। अतः वर्तमान मामले में, यद्यपि उच्च न्यायालय का निर्णय 22.01.2016 के आदेश में विलय नहीं हुआ, फिर भी उक्त आदेश में की गई विधि की उद्घोषणा पक्षकारों पर बाध्यकारी थी। विशेष अनुमति याचिकाओं

का निराकरण करते समय इस न्यायालय ने यह धारण किया कि बिमलेश तनवर बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, [2003] 2 एस.सी.आर. 757 के निर्णय के पश्चात् वरिष्ठता निर्धारण का मौलिक सिद्धांत यह है कि वरिष्ठता चयन की मेरिट सूची के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए और रोस्टर बिंदु के आधार पर तैयार सूची विधि में अनुमेय नहीं है। उत्तरदाताओं पर यह दायित्व था कि वे उक्त घोषित विधि का पालन करें और टी.एन.पी.एस.सी. द्वारा चयन के आधार पर आपसी वरिष्ठता निर्धारित करें, न कि रोस्टर बिंदु के आधार पर। उक्त आदेश के अनुपालन में प्रकाशित बताई गई वरिष्ठता सूची, वास्तव में, इस न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करती है। निर्देशः उत्तरदाताओं को वरिष्ठता सूची का पुनरीक्षण कर पुनः प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाता है। अवमाननाकारों को दंड की मात्रा के प्रश्न पर सुना जाएगा। — संविधानः भारत का संविधान — अनुच्छेद 141

न्यायालय की अवमानना — अवमानना अधिकार-क्षेत्र — सीमा — विचारित।

अवमानना याचिकाओं में निर्देश जारी करते हुए तथा विशेष अनुमति याचिकाओं का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने—

निर्णीत किया: 1. अवमानना अधिकार-क्षेत्र के प्रयोग में, न्यायालय मूल निर्णय एवं निर्देशों से आगे नहीं जा सकता; न ही न्यायालय के लिए ऐसे पूरक अथवा आनुषंगिक निर्देश जारी करना अनुमेय है, जो मूल निर्णय एवं आदेश में न पाए जाते हों। [कंडिका 14][209-सी–डी]

2. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अवलोकन किया कि उसके समक्ष प्रस्तुत मामला व्यक्तिगत प्रकृति का नहीं था, जो व्यक्तिगत तिथियों, तथ्यों अथवा घटनाक्रम पर निर्भर करता हो। अपितु यह मामला वरिष्ठता निर्धारण के विषय में लागू किए जाने वाले विधिक सिद्धांत से संबंधित एक मूलभूत प्रश्न से उत्पन्न हुआ था। [कंडिका 17][210-बी]

3.1 यदि विशेष अनुमति याचिकाओं के निरस्तीकरण का आदेश कारणों सहित हो, तब भी विलय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तथापि, न्यायालय द्वारा उल्लिखित कारण, यदि

इस न्यायालय द्वारा विधि की उद्घोषणा करते हों, तो वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 की लागूता को आकर्षित करेंगे और ऐसी घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों, अधिकरणों तथा संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी। किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा पक्षकार को इस न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण के विपरीत कोई मत अपनाने या प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। ऐसा आदेश यह दर्शाता है कि इस न्यायालय ने विधि की घोषणा की है और उसी प्रकाश में यह माना गया कि मामला विशेष अनुमति प्रदान किए जाने योग्य नहीं है। [कंडिका 22][212-एफ–एच]

कुन्हायम्मद एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं एक अन्य, (2000) 6 एससीसी 359 : [2000] 1 अनुपूरक एससीआर 538 – पर अवलंबन किया गया।

3.2 इस न्यायालय ने, उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को निरस्त करते हुए, स्पष्ट रूप से यह धारण किया कि बिमलेश तनवर के निर्णय के उद्भव के पश्चात्, वरिष्ठता निर्धारण को शासित करने वाला मौलिक सिद्धांत यह है कि वरिष्ठता का निर्धारण चयन की मेरिट सूची के आधार पर किया जाना चाहिए; और रोस्टर बिंदु के आधार पर तैयार की गई सूची विधि में अनुमेय नहीं होगी। अतः, विशेष अनुमति याचिकाओं को निरस्त करते समय, इस न्यायालय ने बिमलेश तनवर के वाद में प्रतिपादित विधिक स्थिति को पुनः दोहराया कि वरिष्ठता निर्धारित करते समय चयन सूची में आपसी मेरिट ही प्रासंगिक है, न कि रोस्टर बिंदु। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि उस समय के विद्वान महाधिवक्ता ने उसी उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा अपनाए गए विपरीत दृष्टिकोण के संबंध में एक मुद्दा उठाया था, तथापि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह धारण किया कि चूँकि यह प्रश्न अब बिमलेश तनवर के निर्णय द्वारा आच्छादित हो चुका है, अतः मदुरै पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली लंबित विशेष अनुमति याचिकाएँ किसी भी प्रकार से प्रासंगिक नहीं होंगी, क्योंकि वे भी इस न्यायालय द्वारा बिमलेश तनवर में घोषित विधि द्वारा ही शासित होंगी।अतः यह स्पष्ट है कि यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय

के दिनांक 22 जनवरी, 2016 के आदेश में विलय हो गया है, तथापि उक्त आदेश में की गई विधि की उद्घोषणा देश के सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर, तथा किसी भी स्थिति में, पक्षकारों के मध्य बाध्यकारी होगी। इस दृष्टि से, उत्तरदाताओं पर यह दायित्व था कि वे इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का पालन करें और टी.एन.पी.एस.सी. द्वारा किए गए चयन के आधार पर आपसी वरिष्ठता का निर्धारण करें, न कि रोस्टर बिंदु के आधार पर। जहाँ तक पक्षकारों के मध्य विवाद का संबंध है, वह इस न्यायालय के दिनांक 22 जनवरी, 2016 के आदेश द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित हो चुका है। इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रकाशित बताई गई वरिष्ठता सूची, वस्तुतः, इस न्यायालय के निर्देशों का संपूर्ण उल्लंघन है। अतः, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे टी.एन.पी.एस.सी. द्वारा दिनांक 10 सितंबर, 1999 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में संपन्न चयन प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची का पुनरीक्षण कर पुनः प्रकाशन करें, और यह कार्य चयन प्रक्रिया में निर्धारित मेरिट के आधार पर ही किया जाए, न कि रोस्टर बिंदु के आधार पर। यह संपूर्ण प्रक्रिया इस आदेश की तिथि से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर पूर्ण की जाए। दिनांक 11 फरवरी, 2021 के आदेश में नामित व्यक्ति इस न्यायालय के आदेश की अवमानना के दोषी पाए जाते हैं तथा उन्हें दंड की मात्रा के प्रश्न पर सुना जाएगा।[कंडिका 23–29][213-ए–ई, जी; 214-एफ–एच]

> *बिमलेश तनवर बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य*, (2003) 5 एससीसी 604 : [2003] 2 एससीआर 757; *पी.एस. घलौत बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य*, (1995) 5 एससीसी 625 : [1995] 2 अनुपूरक एससीआर 506; *झरेश्वर प्रसाद पॉल एवं एक अन्य बनाम तारक नाथ गांगुली एवं अन्य*, (2002) 5 एससीसी 352 : [2002] 3 एससीआर 913; *मिदनापुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एवं अन्य बनाम चुनीलाल नंदा एवं अन्य*, (2006) 5 एससीसी 399 : [2006] 2 अनुपूरक एससीआर 986; *वी.एम. मनोहर प्रसाद बनाम एन. रत्नम राजू एवं एक अन्य*, (2004) 13 एससीसी 610; *सुधीर वासुदेव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ऑयल एंड*

नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम एम. जॉर्ज रविशेकरण एवं अन्य, **(2014) 3 एससीसी 373 : [2014] 4 एससीआर 27 — संदर्भित किया गया।**

नज़ीर संदर्भः

[1995] 2 अनुपूरक एससीआर 506	**संदर्भित**	**कंडिका 3**
[2003] 2 एससीआर 757	**संदर्भित**	**कंडिका 9**
[2002] 3 एससीआर 913	**संदर्भित**	**कंडिका 13**
[2006] 2 अनुपूरक एससीआर 986	**संदर्भित**	**कंडिका 13**
[2014] 4 एससीआर 27	**संदर्भित**	**कंडिका 13**
[2000] 1 अनुपूरक एससीआर 538	**अवलंबन किया गया**	**कंडिका 21**

अंतर्निहित/दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2016 की दीवानी अपील संख्या 4954

में

अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 638/2017

इस न्यायालय के दिनांक 22.01.2016 के आदेश (विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2890–2894/2016 तथा 2886/2016) के अवमानना हेतु याचिका।

साथ में—

अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या — /2021(डायरी संख्या 16048/2020) विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2890–2894/2016 में, अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या — /2021 (डायरी संख्या 6415/2021) विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2886/2016 में, अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 1848/2018 विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2886/2016 में, अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 2188/2018 विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2886/2016 में, विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 12114–12117/2021, अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 1247/2019 विशेष अनुमति

याचिका (दीवानी) संख्या 2886/2016 में, अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 687/2021 विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2890–2894/2016 में।

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताः नितिन सरवनन, सुश्री अरुणिमा सिंह, करुणाकर महालिक, सुश्री प्रियदर्शिनी, सुश्री रिधिमा मल्होत्रा, प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, एन. सुब्रमणियन, जतिन भारद्वाज, सुश्री शांथा डी. रामन, गर्वेश काबरा, अरिहंत जैन, सुश्री नेहा राठी।

उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्ता : अमित आनंद तिवारी, वी. कृष्णमूर्ति, अपर महाधिवक्ता, वी. गिरी, पी. विल्सन, सी. एस. वैद्यनाथन, मुकुल रोहतगी — वरिष्ठ अधिवक्ता, विनोद कन्ना बी., एम. योगेश कन्ना, टी. आर. बी. शिवकुमार, सुश्री सी. एन. जी. निरैमथी, डॉ. जोसेफ अरिस्टॉटल एस., नितीश राज, अक्षय नागराजन, मोहम्मद सादिक टी. ए., सुश्री प्रीति सिंह, सुश्री रिपुल स्वाति कुमारी।

न्यायालय का आदेश

माननीय न्यायमूर्ति श्री बी. आर. गवई द्वारा पारित।

1. वर्तमान अवमानना याचिकाएँ याचिकाकर्ताओं द्वारा इस प्रार्थना के साथ दायर की गई हैं कि कथित अवमाननाकार-उत्तरदाताओं के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारंभ की जाए, क्योंकि उन्होंने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2016 को विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2890–2894/2016 तथा 2886/2016 में पारित आदेश का जानबूझकर अवज्ञापूर्ण उल्लंघन किया है।

2. वर्तमान याचिकाओं के दायर किए जाने के कारण बनने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :—

अवमानना याचिकाकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर की थीं, क्योंकि वे दिनांक 29 अप्रैल, 2004 को प्रकाशित आपसी वरिष्ठता सूची के निर्धारण से आहत थे। याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं

का चयन तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (आगे "टी.एन.पी.एस.सी." के रूप में उल्लिखित) द्वारा दिनांक 10 सितंबर, 1999 को जारी अधिसूचना के आधार पर आयोजित चयन प्रक्रिया के अनुसरण में किया गया था। चयन के उपरांत, चयनित अभ्यर्थियों को तमिलनाडु राज्य के लोक निर्माण विभाग तथा राजमार्ग विभाग में वर्ष 2000 में नियुक्त किया गया।

3. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की अवधि पश्चात्, दिनांक 29 अप्रैल, 2004 को वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई। आर. बालकृष्णन ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह प्रतिपादित किया कि यद्यपि वह पिछड़ा वर्ग श्रेणी का एक अधिक मेधावी अभ्यर्थी था, तथापि उसे सामान्य कोटि (ओपन कैटेगरी) में आवंटित कर रोस्टर बिंदु के क्रमांक 172 पर रखा गया। उसका यह भी कथन था कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित अन्य अभ्यर्थी, जो उससे कम मेधावी थे, सूची में उससे ऊपर स्थान पर रखे गए तथा उन्हें उससे अधिक वरिष्ठता प्रदान की गई, क्योंकि उन्हें आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध स्थान दिया गया था। आर. बालकृष्णन का उक्त अभ्यावेदन तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टी.एन.पी.एस.सी.) द्वारा दिनांक 20 दिसंबर, 2004 के आदेश द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि रोस्टर बिंदु ही वरिष्ठता का निर्धारण करता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ***पी.एस. घलौत बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य*** [1] के वाद में निर्णय दिया गया है। उक्त दिनांक 20 दिसंबर, 2004 के आदेश से आहत होकर आर. बालकृष्णन तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकाएँ दायर कीं। ये रिट याचिकाएँ मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को पारित निर्णय एवं आदेश द्वारा विलंब एवं निष्क्रियता के आधार पर निरस्त कर दी गईं।

4. उक्त निर्णय से आहत होकर, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपीलें दायर कीं। खंड पीठ ने दिनांक 31 मार्च, 2015 के अपने निर्णय एवं आदेश द्वारा (आगे "प्रथम निर्णय" के रूप में उल्लिखित), अपीलों को स्वीकार

---

1 (1995) 5 एससीसी 625

किया और एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को पारित निर्णय एवं आदेश को निरस्त कर दिया। खंड पीठ ने आधिकारिक उत्तरदाताओं को यह निर्देश दिया कि वे तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टी.एन.पी.एस.सी.) द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की गई रैंक को वरिष्ठता निर्धारण का आधार मानें। खंड पीठ ने टी.एन.पी.एस.सी. को यह भी निर्देश दिया कि वह उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उपयुक्त आदेश जारी करे। उक्त निर्णय को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टी.एन.पी.एस.सी.) द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2890–2894/2016 के माध्यम से चुनौती दी गई। इस न्यायालय ने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के अपने कारणयुक्त आदेश द्वारा उक्त विशेष अनुमति याचिकाओं को निरस्त कर दिया। वर्तमान अवमानना याचिकाएँ इस आधार पर दायर की गई हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2016 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

5. इस मध्य अवधि में घटित हुई कुछ अन्य घटनाओं का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है। मद्रास उच्च न्यायालय के प्रथम निर्णय, जिसे इस न्यायालय द्वारा भी पुष्टि प्रदान की गई थी, के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से तमिलनाडु राज्य ने तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा शर्तें) अधिनियम, 2016 (आगे “उक्त अधिनियम” के रूप में उल्लिखित) अधिनियमित किया। उक्त अधिनियम की धारा 40 में यह प्रावधान किया गया कि सेवा में किसी व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण आरक्षण के नियम तथा परिक्रमण क्रम के अनुसार किया जाएगा। उक्त प्रावधानों को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं के एक समूह में चुनौती दी गई। मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 15 नवंबर, 2019 को पारित अपने निर्णय एवं आदेश द्वारा (आगे “द्वितीय निर्णय” के रूप में उल्लिखित), उक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार किया। खंड पीठ ने उक्त अधिनियम की धारा 1(2), 40 तथा 70 को अल्ट्रा वायर्स एवं असंवैधानिक घोषित किया। इसके अतिरिक्त, खंड पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 12 सप्ताह की अवधि

के भीतर वरिष्ठता निर्धारण की प्रक्रिया को पुनः संपन्न किया जाए। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 नवंबर, 2019 को पारित उक्त आदेश को विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2861–2876/2020 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। इस न्यायालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2020 को निम्नलिखित आदेश पारित किया—

"विशेष अनुमति याचिका/याचिकाएँ दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पक्षकार बनाए जाने हेतु आवेदन, हस्तक्षेप की सीमा तक, स्वीकार किया जाता है।

इन याचिकाओं में कोई भी गुण-दोष नहीं है। अतः विशेष अनुमति याचिकाएँ निरस्त की जाती हैं।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।"

6. उक्त विशेष अनुमति याचिकाओं के निरस्त हो जाने के पश्चात्, आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिकाएँ दायर की गईं। इसी प्रकार, उन चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भी कुछ अवमानना याचिकाएँ दायर की गईं, जो वरिष्ठता सूची के पुनरीक्षण न किए जाने से आहत थे। मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 26 मार्च, 2021 के अपने निर्णय एवं आदेश द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं के साथ-साथ अवमानना याचिकाओं को भी निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय एवं आदेश को वरिष्ठता सूची के पुनरीक्षण न किए जाने से आहत चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 12114–12117/2021 दायर कर चुनौती दी गई है।

7. अवमानना याचिकाएँ इस न्यायालय के समक्ष विभिन्न तिथियों को सूचीबद्ध की गईं। इस न्यायालय ने दिनांक 11 फरवरी, 2021 को निम्नलिखित आदेश पारित किया—

"इस बीच, दिनांक 22.01.2016 के निर्णय को लागू किया जाएगा। यदि उक्त तिथि तक निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित कथित

अवमाननाकार/उत्तरदाता अगली सुनवाई की तिथि को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे:

अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 638/2017, दीवानी अपील संख्या 4954/2016 में:

1. एम. विजयकुमार
2. एस. थिनाकरन

डायरी संख्या 16048/2020, विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2890–2894/2016 में:

1. डॉ. एस. स्वर्णा
2. के. राममूर्ति
3. के. नंथकुमार

अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 1247/2019, विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2886/2016 में:

1. के. शण्मुगम
2. के. नंथकुमार
3. डॉ. के. मणिवासन
4. के. राममूर्ति

अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 1848/2018 तथा अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 2188/2018, विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2886/2016 में:

1. के. नंथकुमार
2. एस. के. प्रभाकर
3. एस. बक्तवच्छलम"

8. अवमानना याचिकाएँ तत्पश्चात् भी विभिन्न तिथियों को सूचीबद्ध की जाती रही हैं। आज, हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टी.एन.पी.एस.सी.) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. एस. वैद्यनाथन, तथा उत्तरदाता–कथित अवमाननाकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, श्री वी. गिरी एवं श्री पी. विल्सन को विस्तार से सुना।

9. श्री प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि प्रथम निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2016 को पारित आदेश में विलय हो चुका है। उन्होंने निवेदन किया कि उक्त आदेश में इस न्यायालय ने ***बिमलेश तनवर बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य***[2] के निर्णय के आलोक में स्पष्ट रूप से यह धारण किया है कि वरिष्ठता सूची का निर्माण चयन की मेरिट सूची के आधार पर किया जाना आवश्यक है और रोस्टर बिंदु के आधार पर तैयार की गई सूची विधि में वैध नहीं होगी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता प्राधिकारियों ने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है; इसके विपरीत, दिनांक 13 मार्च, 2021 को एक संशोधित वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है, यह कहते हुए कि उक्त सूची इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर प्रकाशित की गई है। उनका कहना है कि उक्त वरिष्ठता सूची के अवलोकन से यह और स्पष्ट हो जाता है कि वह सूची ***बिमलेश तनवर*** (उपर्युक्त) के निर्णय के पूर्णतः उल्लंघन में तैयार की गई है।अतः यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त सूची का प्रकाशन कर उत्तरदाता प्राधिकारियों ने न केवल न्यायालय की गंभीर अवमानना की है, बल्कि कपटपूर्ण प्रस्तुति का अपराध भी किया है।

10. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. एस. वैद्यनाथन, श्री मुकुल रोहतगी, श्री वी. गिरी तथा श्री पी. विल्सन ने यह प्रस्तुत किया कि वर्तमान अवमानना याचिकाएँ पूर्णतः निराधार हैं और इनमें कोई भी गुण-दोष नहीं है।

---

2 [2003] 5 एससीआर 604

11. संक्षेप में, उक्त उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए तर्क इस प्रकार हैं—

(i) प्रथम निर्णय में, मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं को ही राहत प्रदान की थी। उक्त निर्णय को इसी प्रकार समझते हुए, उत्तरदाता प्राधिकारियों ने एक नवीन वरिष्ठता सूची जारी की, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं को अपेक्षित वरिष्ठता प्रदान की गई।

(ii) मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 15 नवंबर, 2019 के द्वितीय निर्णय के अवलोकन से यह और अधिक पुष्ट होता है कि पूर्ववर्ती चरण में प्रदान की गई राहत केवल व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं तक सीमित थी। उक्त निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि खंड पीठ ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि विलंब, निष्क्रियता, मौन स्वीकृति तथा उपार्जित अधिकार प्रासंगिक कारक होंगे; अतः वे व्यक्ति जो प्रथम चरण में याचिकाकर्ता नहीं थे, मद्रास उच्च न्यायालय के प्रथम निर्णय के अनुसार वरिष्ठता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

(iii) पक्षकारों के अधिकार लगभग दो दशकों से अधिक अवधि से स्थिर/निश्चित हो चुके हैं और इस चरण पर उन्हें उलट-पुलट करने से कैडर के कर्मचारियों में गंभीर असंतोष उत्पन्न होगा।

(iv) कुछ कर्मचारियों ने वरिष्ठता सूची को स्वीकार कर लिया है; अतः अब संपूर्ण प्रक्रिया को पुनः आरंभ कर ऐसे कर्मचारियों पर संशोधित वरिष्ठता थोपना संभव नहीं है।

(v) किसी भी स्थिति में, मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय इस प्रकार भी व्याख्यायित किया जा सकता था कि वह केवल व्यक्तिगत मामलों पर लागू होता है; अतः यदि आधिकारिक उत्तरदाताओं ने उक्त निर्णय को गलत समझ लिया हो, तो भी निर्देशों का अनुपालन न किया जाना जानबूझकर या

सचेतन नहीं कहा जा सकता, और इस प्रकार अवमानना की कार्यवाही नहीं बनती।

12. इसके अतिरिक्त, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने यह प्रस्तुत किया कि यदि कोई अवमानना बनती भी है, तो वह उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना होगी। उन्होंने निवेदन किया कि चूँकि दिनांक 22 जनवरी, 2016 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिकाओं को — यद्यपि कुछ कारण बताते हुए — निरस्त किया है, तथापि इससे विलय नहीं होता; अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरदाताओं ने इस न्यायालय की अवमानना की है।उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि यदि भविष्य में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिकाओं के मात्र निरस्त हो जाने के आधार पर, इस न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिकाएँ स्वीकार की जाने लगें, तो इससे अवमानना याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी प्रथा न्याय के हित में अनुकूल नहीं होगी।

13. श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों अवलंबन किया है, जिनमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अवमानना कार्यवाही में न्यायालय मूल निर्णय एवं आदेश से आगे नहीं जा सकता —

झरेश्वर प्रसाद पॉल एवं एक अन्य बनाम तारक नाथ गांगुली एवं अन्य*[3]*, मिदनापुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एवं अन्य बनाम चुनीलाल नंदा एवं अन्य*[4]*, वी.एम. मनोहर प्रसाद बनाम एन. रत्नम राजू एवं एक अन्य*[5] *तथा सुधीर वासुदेव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम एम. जॉर्ज रविशेकरण एवं अन्य*[6]*।

---

3 [2002] 5 एससीसी 352

4 (2006) 5 एससीसी 399

5 (2004) 13 एससीसी 610

6 (2014) 3 एससीसी 373

14. इस सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि अवमानना अधिकार-क्षेत्र में न्यायालय मूल निर्णय एवं निर्देशों से आगे नहीं जा सकता; न ही न्यायालय के लिए ऐसे पूरक अथवा आनुषंगिक निर्देश जारी करना अनुमेय है, जो मूल निर्णय एवं आदेश में विद्यमान न हों। न्यायालय का सरोकार केवल मूल निर्णय एवं आदेश में जारी निर्देशों के जानबूझकर अथवा सचेतन अनुपालन न किए जाने से है।

15. प्रारंभ में ही यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान कार्यवाही में हमारा सरोकार केवल इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2016 को पारित आदेश की अवमानना से है।

16. जहाँ तक उत्तरदाताओं के इस तर्क का संबंध है कि प्रथम चरण में उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया विवाद व्यक्तिगत प्रकृति का था, इस संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा प्रथम निर्णय में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा—

> "37. ...
>
> (ii) वर्तमान प्रकरण व्यक्तिगत तिथियों, तथ्यों अथवा घटनाक्रम पर निर्भर करते हुए व्यक्तिगत प्रकृति के नहीं हैं। ये प्रकरण वरिष्ठता निर्धारण के विषय में लागू किए जाने वाले विधिक सिद्धांत से संबंधित एक अत्यंत मौलिक प्रश्न से उत्पन्न हुए हैं। रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत ऐसी नहीं थी जो अपने निस्तारण के लिए पृथक-पृथक तथ्यों पर निर्भर करती हो। ये प्रकरण उस आधारभूत नींव को ही चुनौती देते हैं, जिसके आधार पर सिद्धांततः वरिष्ठता निर्धारित की जानी थी। ऐसे मामलों में नियम 35(फ) के अंतर्गत विभाग को प्राप्त वह सक्षमकारी प्रावधान, जिसके द्वारा व्यक्तियों के दावों को संक्षेप में अस्वीकार किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता।"

17. अतः यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अवलोकन किया कि उसके समक्ष प्रस्तुत मामला व्यक्तिगत तिथियों, तथ्यों अथवा घटनाक्रम पर निर्भर करने वाला व्यक्तिगत प्रकृति का नहीं था। उसने आगे यह भी अवलोकन किया कि यह मामला वरिष्ठता

निर्धारण के विषय में लागू किए जाने वाले विधिक सिद्धांत से संबंधित एक अत्यंत मौलिक प्रश्न से उत्पन्न हुआ था।

18. इन अवलोकनों के उपरांत, प्रथम निर्णय में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने कार्यकारी भाग में निम्नलिखित रूप से निर्णय दिया—

> "85. उपर्युक्त के आलोक में, रिट अपीलें स्वीकार की जाती हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। आधिकारिक उत्तरदाताओं को यह निर्देश दिया जाता है कि वे सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की गई रैंक को वरिष्ठता निर्धारण का आधार मानें और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उपयुक्त आदेश जारी करें। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।"

19. अतः यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि प्रथम निर्णय में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आधिकारिक उत्तरदाताओं को यह निर्देश जारी किया कि वे तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टी.एन.पी.एस.सी.) द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की गई रैंक को वरिष्ठता निर्धारण का आधार मानें, तथा टी.एन.पी.एस.सी. को यह भी निर्देश दिया गया कि वह उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उपयुक्त आदेश जारी करे।

20. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को स्वीकार किए जाने का आधार इस न्यायालय का ***बिमलेश तनवर*** (उपर्युक्त) का निर्णय था, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि वरिष्ठता का निर्धारण रोस्टर बिंदु के आधार पर नहीं, बल्कि चयन के समय चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की गई वरिष्ठता/मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के आदेश द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं को निरस्त करते समय निम्नलिखित अवलोकन किया—

"मौजूदा मामलों में खंड पीठ द्वारा लागू किया गया मूल सिद्धांत इस प्रश्न से संबंधित है कि वरिष्ठता सूची तैयार करने का आधार क्या होना चाहिए। इस संदर्भ में, खंड पीठ ने यह नोट किया कि जब सेवा आयोग ने वर्ष 2000 में सूची तैयार की थी, तब वह इस न्यायालय के निर्णय पी.एस. घलौत बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (1995) 5 एस.सी.सी. 625 के अनुरूप थी। न्यायालय ने यह भी पाया कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उक्त सूची अंतिम रूप प्राप्त नहीं कर सकी और अंततः जब दिनांक 29.02.2004 को वरिष्ठता सूची जारी की गई, तब तक इस न्यायालय का निर्णय बिमलेश तनवर बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2003) 5 एस.सी.सी. 604 प्रभाव में आ चुका था, जिसने घलौत (उपर्युक्त) के निर्णय को पलट दिया था। अतः खंड पीठ ने यह धारित किया कि वरिष्ठता सूची को चुनौती देने में कोई विलंब नहीं था। **बिमलेश तनवर (उपर्युक्त) के निर्णय के उद्भव के पश्चात्, वरिष्ठता सूची के निर्माण से संबंधित मूलभूत सिद्धांत यह था कि वह चयन की मेरिट सूची के आधार पर तैयार की जानी चाहिए और रोस्टर बिंदु के आधार पर तैयार की गई सूची का वरिष्ठता निर्धारण के प्रयोजन से कोई उपयोग नहीं हो सकता।"**

चूँकि उक्त मौलिक सिद्धांत को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करते समय लागू किया गया था, इसलिए हमें इन विशेष अनुमति याचिकाओं में कोई भी गुण-दोष दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः विशेष अनुमति याचिकाएँ निरस्त की जाती हैं।

भारत के विद्वान महाधिवक्ता, जो तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित थे, ने यह मुद्दा उठाया कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के एक अन्य निर्णय में अपनाए गए विपरीत दृष्टिकोण के संदर्भ में, किसी एक कर्मचारी के कहने पर एक विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय में लंबित है। तथापि, चूँकि यह प्रश्न अब इस न्यायालय के बिमलेश तनवर (उपर्युक्त) के निर्णय द्वारा आच्छादित हो चुका है, अतः उक्त विशेष अनुमति याचिका की लंबितता का कोई प्रभाव नहीं होगा,

क्योंकि वह विशेष अनुमति याचिका भी इस न्यायालय के उक्त निर्णय — अर्थात् बिमलेश तनवर (उपर्युक्त) — द्वारा ही शासित होगी।

[बल दिया गया]

21. इस संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णय ***कुन्हयम्मद एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य***[7] में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा —

"**27.** इस न्यायालय में अपील की अनुमति हेतु दायर याचिका को अकारण आदेश द्वारा या कारणयुक्त आदेश द्वारा निरस्त किया जा सकता है। निरस्तीकरण के आदेश में प्रयुक्त शब्दावली चाहे जो भी हो, यदि वह अकारण आदेश है, अर्थात् उसमें विशेष अनुमति याचिका को निरस्त करने के कारण नहीं बताए गए हैं, तो न तो वह विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा — जिससे वह, विवादित आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाए — और न ही वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा विधि की घोषणा माना जाएगा, क्योंकि उसमें किसी विधि की घोषणा नहीं की गई है। यदि निरस्तीकरण का आदेश कारणों सहित हो, तब भी विलय का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में प्रयुक्त अधिकार-क्षेत्र अपीलात्मक अधिकार-क्षेत्र नहीं, बल्कि मात्र विवेकाधीन अधिकार-क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत अपील की अनुमति प्रदान करने से इंकार किया जाता है। इस पहलू पर हम पूर्व में ही विचार कर चुके हैं। तथापि, न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए कारण, यदि इस न्यायालय द्वारा किसी विधि की घोषणा करते हों, तो वे संविधान के अनुच्छेद 141 की लागूता को आकर्षित करेंगे; और ऐसी घोषित विधि निःसंदेह भारत के सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों, तथा निश्चित रूप से पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी।" उक्त आदेश में विधि के बिंदुओं के अतिरिक्त जो कथन निहित हैं, वे भी न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत के अंतर्गत पक्षकारों तथा उस न्यायालय या अधिकरण पर

7 (2000) 6 एससीसी 359

बाध्यकारी होंगे, जिसके आदेश को चुनौती दी गई थी; क्योंकि यह न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय है। किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा पक्षकार को इस न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण के विपरीत कोई मत अपनाने या प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। इस न्यायालय का आदेश यह दर्शाता है कि उसने विधि की घोषणा की है और उसी प्रकाश में यह माना गया कि मामला विशेष अनुमति प्रदान किए जाने योग्य नहीं है। विधि की ऐसी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 141 द्वारा शासित होगी; तथापि, चूँकि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अनुमति प्रदान की गई हो, इसलिए विलय का सिद्धांत लागू नहीं होता। कभी-कभी न्यायालय विधि के प्रश्न को खुला छोड़ देता है; अथवा कभी-कभी वह संक्षेप में किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है—संभव है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत हो — और इसके बावजूद विशेष अनुमति याचिका को निरस्त कर देता है। ऐसे में दिए गए कारण संविधान के अनुच्छेद 141 के प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत होते हैं। ऐसा इस कारण किया जाता है कि यदि विशेष अनुमति याचिका को मात्र निरस्त कर दिया जाए, तो उच्च न्यायालय में यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि इस न्यायालय को यह समझा जाए कि उसने विधि के प्रश्न पर उच्च न्यायालय से असहमति व्यक्त नहीं की है।"

22. अतः यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने निर्विवाद एवं स्पष्ट शब्दों में यह प्रतिपादित किया है कि यदि विशेष अनुमति याचिकाओं के निरस्तीकरण का आदेश कारणों सहित हो, तब भी विलय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तथापि, न्यायालय द्वारा उल्लिखित कारण, यदि इस न्यायालय द्वारा विधि की घोषणा करते हों, तो वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 की लागूता को आकर्षित करेंगे और ऐसी घोषित विधि निःसंदेह भारत के सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों, तथा निश्चित रूप से पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी। यह भी धारित किया गया है कि किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा पक्षकार को इस न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण के विपरीत कोई मत अपनाने या प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। ऐसा

आदेश यह दर्शाता है कि इस न्यायालय ने विधि की घोषणा की है और उसी प्रकाश में यह माना गया कि मामला विशेष अनुमति प्रदान किए जाने योग्य नहीं था।

23. इस न्यायालय ने प्रथम निर्णय के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को निरस्त करते समय स्पष्ट रूप से यह धारित किया है कि ***बिमलेश तनवर*** (उपर्युक्त) के निर्णय के उद्भव के पश्चात्, वरिष्ठता निर्धारण को नियंत्रित करने वाला मौलिक सिद्धांत यह है कि वरिष्ठता का निर्धारण चयन की मेरिट सूची के आधार पर किया जाना चाहिए, और रोस्टर बिंदु के आधार पर तैयार की गई सूची विधि में अनुमेय नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि विशेष अनुमति याचिकाओं को निरस्त करते हुए इस न्यायालय ने ***बिमलेश तनवर*** (उपर्युक्त) के वाद में प्रतिपादित विधिक स्थिति को पुनः दोहराया है कि वरिष्ठता का निर्धारण करते समय चयन सूची में आपसी मेरिट ही प्रासंगिक है, न कि रोस्टर बिंदु।

24. यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि तत्कालीन विद्वान महान्यायवादी ने उसी उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण के संबंध में एक मुद्दा उठाया था, तथापि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि चूँकि अब यह मुद्दा ***बिमलेश तनवर*** (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा आच्छादित था, इसलिए मदुरै पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं की लंबितता का कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि उक्त विशेष अनुमति याचिकाएँ ***बिमलेश तनव***र (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा शासित होंगी।

25. अतः यह स्पष्ट है कि यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि मद्रास उच्च न्यायालय का द्वितीय निर्णय इस न्यायालय के दिनांक 22 जनवरी, 2016 के आदेश में विलय हो गया है, तथापि उक्त आदेश में की गई विधि की उद्घोषणा देश के सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर तथा किसी भी स्थिति में पक्षकारों के मध्य बाध्यकारी होगी।

26. इस दृष्टि से, उत्तरदाताओं पर यह दायित्व था कि वे इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का पालन करें और तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टी.एन.पी.एस.सी.) द्वारा

किए गए चयन के आधार पर आपसी वरिष्ठता का निर्धारण करें, न कि रोस्टर बिंदु के आधार पर।

27. पुनरुक्ति के जोखिम पर यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि उत्तरदाता प्राधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा मामले के गुण-दोष से संबंधित विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए गए, तथापि हम उन पहलुओं पर विचार नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ अवमानना की सीमित अधिकार-सीमा का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ तक पक्षकारों के मध्य विवाद का संबंध है, वह इस न्यायालय के दिनांक 22 जनवरी, 2016 के आदेश द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित हो चुका है। हम यह पाते हैं कि जिस वरिष्ठता सूची को इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रकाशित बताया गया है, वह इस न्यायालय के निर्देशों का संपूर्णतः उल्लंघन करती है। सूची पर एक दृष्टि मात्र डालने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अनेक ऐसे चयनित अभ्यर्थी, जिन्हें कम अंक प्राप्त हुए हैं, उन्हें उन अभ्यर्थियों से ऊपर स्थान दिया गया है, जिन्हें अधिक अंक प्राप्त हुए थे। अतः, हम बिना किसी हिचक के यह धारित करते हैं कि दिनांक 11 फरवरी, 2021 के हमारे आदेश में नामित निम्नलिखित व्यक्ति इस न्यायालय के आदेश की अवमानना करने के दोषी है; —

अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 638/2017, दीवानी अपील संख्या 4954/2016 में:

1. एम. विजयकुमार
2. एस. थिनाकरन

डायरी संख्या 16048/2020, विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2890–2894/2016 में:

1. डॉ. एस. स्वर्णा
2. के. राममूर्ति
3. के. नंथकुमार

अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 1247/2019, विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2886/2016 में:

1. के. शण्मुगम
2. के. नंथकुमार
3. डॉ. के. मणिवासन
4. के. राममूर्ति

अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 1848/2018 तथा अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 2188/2018, विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 2886/2016 में:

1. के. नंथकुमार
2. एस. के. प्रभाकर
3. एस. बक्तवच्छलम"

28. अतः, हम उत्तरदाताओं को यह निर्देश देते हैं कि वे तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टी.एन.पी.एस.सी.) द्वारा दिनांक 10 सितंबर, 1999 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में आयोजित चयन प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची का पुनरीक्षण कर पुनः प्रकाशन करें। यह कार्य चयन प्रक्रिया में निर्धारित मेरिट के आधार पर कठोरता से किया जाए, न कि रोस्टर बिंदु के आधार पर। उक्त कार्यवाही इस आदेश की तिथि से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर पूर्ण की जाए।

29. जहाँ तक उपर्युक्त अवमाननाकारों पर आरोपित किए जाने वाले दंड की मात्रा के प्रश्न का संबंध है, इस विषय को दिनांक 10 जनवरी, 2022 को सूचीबद्ध किया जाए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि उक्त तिथि को अनुच्छेद (27) में नामित वे सभी व्यक्ति, जिन्हें हमारे द्वारा इस न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया गया है, इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे तथा उन्हें दंड की मात्रा के प्रश्न पर सुना जाएगा।

30. जहाँ तक विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 12114–12117/2021 का संबंध है, अवमानना याचिकाओं में हमारे द्वारा पारित आदेश के दृष्टिगत, कोई पृथक आदेश पारित किया जाना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, उक्त विशेष अनुमति याचिकाएँ निस्तारित की जाती हैं।

दिव्या पांडे निर्देश जारी किए गए।

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।